रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13022024-252049
CG-DL-E-13022024-252049

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 606] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 13, 2024/माघ 24, 1945
No. 606] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 13, 2024/MAGHA 24, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2024

का.आ. 637(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

(क)	श्री लाल चंद, पूर्व सदस्य जम्मू-कश्मीर लोक सेवा आयोग, निवासी खेरियां, डाकघर गोल गुजराल, वार्ड नंबर 32, जम्मू-180002	अध्यक्ष;
(ख)	श्री नजीर अहमद, पूर्व राज्य सूचना आयुक्त, जम्मू-कश्मीर राज्य सूचना आयोग, निवासी मकान सं. 12, जीलानाबाद, लेन 1, बटपोरा, श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर-190006	सदस्य;
(ग)	निदेशक, पारिस्थितिकी, पर्यावरण और सुदूर संवेदन ।	सदस्य-सचिव।

2. प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

3. प्राधिकरण ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. प्राधिकरण, अपने विनिश्चय पैरा 5 के अधीन गठित संघ राज्यक्षेत्र विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की सिफारिशों के आधार पर करेगा ।

5. केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण की सहायता के प्रयोजन के लिए जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार के परामर्श से जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात् समिति कहा गया है) का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्:--

(क) श्री अरुण कुमार टिक्कू, सेवानिवृत्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, निवासी मकान नंबर 208, वसंत विहार एक्सटेंशन, सेक्टर 3 त्रिकुटा नगर, जम्मू-180020 जम्मू-कश्मीर -अध्यक्ष;

(ख) श्री शुजा अहमद हैदरी, सेवानिवृत्त, वन संरक्षक, निवासी मकान नंबर 551, सेक्टर-1, हमदानिया कॉलोनी, बेमिना, श्रीनगर-190018. -सदस्य;

(ग) श्री मीर जावेद जाफर, सेवानिवृत्त मुख्य इंजीनियर, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, जम्मू-कश्मीर निवासी आलमगरी बाजार, श्रीनगर-190011 -सदस्य;

(घ) श्री राजेन्द्र पाल गुप्ता, सेवानिवृत्त मुख्य इंजीनियर, लोक निर्माण (आर एंड बी) विभाग, निवासी मकान नंबर 808, सुभाष नगर, जम्मू, जम्मू-कश्मीर 180005 -सदस्य;

(ङ) प्रो. (डा.) मुस्ताक अहमद दर्जी, प्रबंध अध्ययन विभाग और निदेशक, यूजीसी-एचआरडीसी कश्मीर विश्वविद्यालय, हजरतबल, श्रीनगर 190006 -सदस्य;

(च) प्रो (डॉ.) कुलवंत सिंह, सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष, विधि विभाग, जम्मू विश्वविद्यालय, निवासी 166, रेजीडेंसी रोड, जम्मू -180001 जम्मू-कश्मीर -सदस्य;

(छ) प्रो. मोहम्मद सुल्तान भट्ट, भूगौल विभाग, कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर-190006 -सदस्य;

(ज) श्री हुमायूं रशीद, निवासी रुस्तम कॉलोनी, राजबाग, श्रीनगर-190008 -सदस्य;

(झ) प्रो. (डॉ) मसूद-अल-हसन बल्खी, पूर्व डीन और मुख्य वैज्ञानिक, मत्स्य संकाय, शेर-ए कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एसकेयूएएसटी-के), निवासी मकान नंबर - 24, मदीना एन्क्लेव, रावलपोरा, श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर -190005 -सदस्य;

(ञ) डॉ. शाम लाल गुप्ता, पूर्व महाविद्यालय निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, डाकघर के सामने, सेक्टर-1/ए (विस्तार) चन्नी हिम्मत, जम्मू-180001 -सदस्य;

(ट) अनिल कुमार रैना, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, पर्यावरण विज्ञान विभाग, जम्मू विश्वविद्यालय/सदस्य, जम्मू-कश्मीर वेटलैंड्स प्राधिकरण, निवासी 101/2, चन्नी हिम्मत जम्मू 180015 -सदस्य;

(ठ) डॉ. गुलजार अहमद मुख्तार, सेवानिवृत्त मुख्य इंजीनियर, भूविज्ञानी, जम्मू-कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम, निवासी पोस्ट बॉक्स नं 13, जीपीओ, द -सदस्य;

IndiaCode

बंड श्रीनगर, पिन-190001, कश्मीर, जम्मू-कश्मीर

(ङ) वैज्ञानिक या कनिष्ठ वैज्ञानिक, पारिस्थितिकी, पर्यावरण एवं सुदूर संवेदन, जम्मू-कश्मीर -सदस्य-सचिव;

6. समिति के अध्यक्ष और सदस्य इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

7. हितों के टकराव से बचने के लिए-

(i) प्राधिकरण और समिति के अध्यक्ष और सदस्य-

(क) यह घोषित करेंगे कि वे किस परामर्श संगठन और परियोजना के प्रस्तावक से जुड़े हैं ;

(ख) किसी परियोजना के लिए पर्यावरणीय समाघात निर्धारण और पर्यावरण प्रबंधन योजना की तैयारी के लिए कोई परामर्श नहीं देगें या सहयोग नहीं करेंगे, जो उनके कार्यकाल के दौरान प्राधिकरण द्वारा विनिश्चित और समिति द्वारा मूल्यांकित की जानी है ; तथा

(ii) यदि पिछले पांच वर्षों में, अध्यक्ष या प्राधिकरण और समिति के किसी भी सदस्य ने किसी परियोजना प्रस्तावक के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान की हैं या पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अध्ययन आयोजित किया है, तो उस स्थिति में वे स्वयं को ऐसे समर्थकों द्वारा प्रस्तावित किसी भी परियोजना के मूल्यांकन की प्रक्रिया में प्राधिकरण और समिति की बैठक बचाव करेंगे।

8. समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रियाओं का पालन करेगी, जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं।

9. समिति सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति पर पहुंचने का प्रयास करेगा और यदि सर्वसम्मति पर नहीं पहुंचा जा सकता है तो बहुमत का मत अभिभावी होगा।

10. जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार, प्राधिकरण और समिति के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए किसी अभिकरण को अधिसूचित करेंगी और सभी वित्तीय और संभार तंत्र संबंधी सहायता, जिसके अंतर्गत वास-सुविधा, परिवहन और उनके सभी कानूनी कृत्यों की बाबत अन्य सुविधाएं भी हैं, उपलब्ध कराएगी।

11. प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों तथा समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की बैठक की फीस, यात्रा भत्ता और मंहगाई भत्ता जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार के नियमों के अनुसार संदत्त किया जाएगा।

[फा. सं. आईए3-13/1/2022-आई.ए.III]

डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th February, 2024

S.O. 637(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes the Union territory of Jammu and Kashmir Environment Impact Assessment Authority (hereinafter referred to as the Authority) comprising of the following persons, namely: -

(a) Shri Lal Chand, former Member Jammu and Kashmir Public Service Commission, R/O Khearian, P/O Gole Gujral, ward No. 32, Jammu-180002 -Chairman;

(b) Shri Nazir Ahmed, former State Information Commissioner, Jammu and Kashmir State Information Commission, R/O H. No. 12, Jeelanabad, Lane 1, Batpora, Srinagar, Jammu and Kashmir -190006 -Member;

(c) Director, Ecology, Environment and Remote Sensing. -Member Secretary.

2. The Chairman and Members of the Authority shall hold office for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority shall exercise the powers and follow the procedures specified in the said notification.

4. The Authority shall take its decision on the recommendations of the Union territory Expert Appraisal Committee constituted under paragraph 5 for the Union territory of Jammu and Kashmir.

5. The Central Government, in consultation with the Government of Jammu and Kashmir, for the purpose of assisting the Authority, hereby constitutes the Union territory of Jammu and Kashmir Expert Appraisal Committee (hereinafter referred to as the Committee), comprising of the following persons, namely:-

(a) Shri Arun Kumar Tikku, Retd. Additional Principal Chief Conservator of Forests, R/O H. No. 208, Vasant Vihar Extension, Sector 3 Trikuta Nagar, Jammu -180020 Jammu and Kashmir. -Chairman;

(b) Shri Shuja Ahmad Hyderi, Retd. Conservator of Forests, R/O H. No. 551, Sector-1, Hamdania Colony, Bemina, Srinagar-190018. -Member;

(c) Shri Mir Javed Jaffar, Retd. Chief Engineer, Irrigation and Flood Control Department, Jammu and Kashmir R/O Alamgari Bazar, Srinagar-190011. -Member;

(d) Shri Rajendra Pal Gupta, Retd. Chief Engineer, Public Works (R&B) Department, R/O H.No. 808, Subhash Nagar, Jammu, Jammu and Kashmir 180005. -Member;

(e) Prof. (Dr.) Mushtaq Ahmad Darzi, Department of Management Studies and Director, UGC-HRDC University of Kashmir, Hazratbal, Srinagar 190006. -Member;

(f) Prof. (Dr.) Kulwant Singh, Retd. HoD, Law Department, University of Jammu, R/O 166, Residency Road, Jammu-180001Jammu and Kashmir. -Member;

(g) Prof. Mohammad Sultan Bhat, Department of Geography, University of Kashmir, Srinagar 190006 -Member;

(h) Sh. Humayun Rashid, R/O Rustum Colony, Rajbagh, Srinagar 190008 -Member;

(i) Prof. (Dr.) Masood-ul-Hassan Balkhi, Ex. Dean and Chief Scientist, Faculty of Fisheries, Sher- e- Kashmir University of Agricultural Sciences and Technology of Kashmir (SKUAST-K), R/o House No.-24, Madina Enclave, Rawalpora, Srinagar, Jammu and Kashmir-190005 -Member;

(j) Dr. Sham Lal Gupta, Ex-Director Colleges, Higher Education Department, Opposite Post Office, Sector-1/A (Ext.) Channi Himmat, Jammu-180001 -Member;

(k) Prof. Anil Kumar Raina, Retd. Professor, Department of Environmental Sciences, University of Jammu/ Member, Jammu and Kashmir Wetlands Authority, R/o 101/2, Channi Himmat Jammu, 180015. -Member;

(l) Dr. Gulzar Ahmad Mukhtar, Retd. Chief Engineer, Geologist, Jammu and -Member;

IndiaCode

Kashmir State Power

Development Corporation,

R/O Post box No.13, GPO, The Bund Srinagar,

PIN- 190001, Kashmir Jammu and Kashmir

(m) Scientist or Junior Scientist, Ecology, Environment & Remote Sensing, Jammu and Kashmir -Member Secretary.

6. The Chairman and Members of the Committee, shall hold office for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

7. In order to avoid any conflict of interest, -

(i) the Chairman and Members of the Authority, and the Committee shall, -

(a) declare to which consulting organisation they have been associated with and also the project proponents;

(b) not undertake any consultation or associate with regard to preparation of Environment Impact Assessment and Environment Management Plan for project, which is to be decided by the Authority or to be appraised by the Committee during their tenure; and

(ii) in the preceding five years, if the Chairman or any Member of the Committee has provided consultancy services or conducted Environment Impact Assessment studies for any project proponent, they shall recuse themselves from the meetings of the Committee from the process of appraisal of any project proposed by such proponents.

8. The Committee shall exercise the powers and follow the procedures specified in the said notification.

9. The Committee shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavour to reach consensus in each case, and if they fail to reach consensus, the view of the majority shall prevail.

10. The Government of Jammu and Kashmir shall specify an agency to act as secretariat of the Authority and the Committee and the secretariat shall provide financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of their functions under the said notification.

11. The sitting fee, travelling allowance and dearness allowance to the Chairman and Members of the Authority and the Committee, shall be paid in accordance with the provisions of relevant rules of the Union territory of Jammu and Kashmir.

[F. No. IA3-13/1/2022-IA.III]

Dr. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA